महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन

देवास रोड,
उज्जैन (म.प्र.) – 456010
दूरभाष–(0734) 2922037 (कार्या.)

E-mail-regpsvvmp@rediffmail.com
Website– www.mpsvvujjain.org

दिनांक 28 सितम्बर, 2021 को आयोजित कार्य परिषद बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 28 सितम्बर, 2021 को मध्याह्न 12:00 बजे महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक, विश्वविद्यालय, उज्जैन की कार्य परिषद बैठक विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :

–: उपस्थिति :–

1. **प्रो. विजयकुमार सी.जी.**
   कुलपति, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन म.प्र. – अध्यक्ष
2. **डॉ. आर.सी. जाटवा, अतिरिक्त संचा. उच्च शिक्षा, संभाग–उज्जैन**
   (प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन की ओर से मनोनीत प्रतिनिधि) – पदेन सदस्य
3. **श्रीमती सुषमा ठाकुर,**
   संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, संभाग– उज्जैन, भरतपुरी, उज्जैन म.प्र
   (प्रमुख सचिव वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन, की ओर से मनोनीत प्रतिनिधि) – पदेन सदस्य
4. **डॉ. मनमोहन उपाध्याय**
   निदेशक, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन म.प्र. – सदस्य
5. **डॉ. उपेन्द्र भार्गव,**
   सहा. प्राध्यापक, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन म.प्र. – सदस्य
6. **श्री हरीश मंगल,**
   नूतन स्कूल के पास, प्रताप मार्ग, नीमच म.प्र. – सदस्य
7. **श्रीमती वंदना नाफडे,**
   सहा. प्राध्यापक (संस्कृत), शा. संस्कृत महाविद्यालय, इन्दौर म.प्र. – सदस्य
8. **श्री भरत बैरागी,**
   97 त्रिमूर्ति नगर, यशोदा विहार,, साक्षी पेट्रोल पंप के सामने, रतलाम म.प्र.. – सदस्य
9. **श्री कौशल मेहरा,**
   86, कावेरी विहार, खण्डवा, म.प्र. – सदस्य
10. **डॉ. केशर सिंह चौहान,**
    एफ–2 कॉलेज परिसर, इन्दौरनाका, महाराजा भोज शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार – सदस्य
11. **श्री आदित्य नागर**
    वित्त नियंत्रक, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक वि.वि. उज्जैन म.प्र. . – विशेष आमन्त्रित सदस्य
12. **डॉ.दिलीप सोनी ,**
    कुलसचिव, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन म.प्र. – सचिव

––00––

बैठक की कार्यवाही के प्रारंभ में कुलसचिवतजी द्वारा कुलपति जी का स्वागत किया गया। कुलपतिजी द्वारा कार्य–परिषद् के उपस्थित सभी सदस्यों का अभिनन्दन किया गया। इसके पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। स्वागतोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

विषय कमांक 01 **कार्य परिषद बैठक दिनांक 25.03.2021 का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ।**

टीप कार्य परिषद बैठक दिनांक 25.03.2021 का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ संलग्न।

निर्णय : **कार्य परिषद बैठक दि.25.03.2021 का कार्यवाही विवरणअनुमोदित ।**

विषय कमांक 02 **कार्य परिषद बैठक दिनांक 25.03.2021 का कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।**

टीप : कार्य परिषद बैठक दिनांक 25.03.2021 का कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन अवलोकनार्थ संलग्न।

निर्णय : कार्य परिषद बैठक दिनांक 25.03.2021 का कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

वषय कमांक 03 **विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों विनियमित (स्थायी कर्मी) करने पर विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।**

टीप : कार्य परिषद बैठक दिनांक 25.03.2020 के विषय कमांक 10 के निर्णयान्तर्गत गठित समिति का प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव संलग्न। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर अब तक किए गए व्यय का अनुमोदन करने एवं विनियमितिकरण का अनुमोदन शासन से प्राप्त होने तक दैनिक वेतन पर नियुक्ति जारी रखी जाने का अनुमोदन करने पर विचारार्थ।

निर्णय : **विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों विनियमित (स्थायी कर्मी) करने की कार्यपरिषद द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी गई तथा प्रस्ताव शासन को भेजने का अनुमोदन किया गया। आगामी कार्यपरिषद की बैठक में उच्च विभाग म.प्र. शासन से जवाब न आने की स्थिति में विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी कर्मी योजना का लाभ दिए जाने के निर्णयार्थ रखा जाएगा।**

क्रियान्वयन – स्थापना

विषय क. 04 **वर्ष 2021–22 के लिये अतिथि प्राध्यापक आमंत्रित करने पर विचार।**

टीप : विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग में विभिन्न विभागों में विषयों के अध्यापन हेतु 24 अंशकालिक एवं 08 पूर्णकालिक, 07 पूर्व वर्षो में कार्यरत सहित कुल 39 अतिथि विद्वान आमंत्रित किए गए। आमंत्रित अतिथि विद्वानों की सूची अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : निम्नांकित पूर्व कार्यरत 07 आमंत्रित अतिथि विद्वानों की सूचना ग्रहण की गई।

1. **डॉ. अमित शर्मा – नव्यव्याकरण**
2. **डॉ. धर्मेन्द्र शर्मा– शिक्षा शास्त्र**
3. **सुश्री रामकुमारी – संस्कृत साहित्य**
4. **डॉ. विजय कुमार – फलित ज्योतिष**
5. **डॉ. विनोद कुमार पाण्डेय – सिद्धान्त ज्योतिष**
6. **डॉ. रूपाली सारये – हिन्दी साहित्य**
7. **श्री भानुप्रताप सिंह बुन्देला – योग**

पूर्व से कार्यरत अतिथि विद्वानों की सूची एवं वर्तमान में 32 अतिथि विद्वान आमंत्रित करने सहित कुल 39 अतिथि विद्वानों का आमंत्रण की जानकारी ग्रहण की गई।

वर्ष 2021–22 के लिये अतिथि प्राध्यापक आमंत्रित करने की जानकारी ग्रहण की गई तथा अनुमोदन किया गया।

क्रियान्वयन – स्थापना

विषय क. 05 **डॉ. पूजा उपाध्याय सहा. प्राध्यापक, विशिष्ट संस्कृत विभाग, चाईल्ड केयर लिव अवकाश स्वीकृति एवं अनुमोदनार्थ।**

टीप :

म.प्र. शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 6–1/2015/नियम/चार, दिनांक 22 अगस्त, 2015 के परिप्रेक्ष्य में डॉ. पूजा उपाध्याय सहा. प्राध्यापक, विशिष्ट संस्कृत विभाग, कार्योत्तर स्वीकृति हेतु कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में दिनांक 13.09.21 से चाईल्ड केयर लिव अवकाश पर है। प्रकरण स्वीकृति एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **डॉ. पूजा उपाध्याय सहा. प्राध्यापक, विशिष्ट संस्कृत विभाग, 13.09.21 से 07.05.2022 तक की अवधि के लिये चाईल्ड केयर लिव की कार्योत्तर स्वीकृति एवं अनुमति दी गई।**

क्रियान्वयन – स्थापना

विषय क. 06 **विश्वविद्यालय में अध्यापन विभाग में कार्यरत डॉ. तुलसीदास परौहा की CAS के तहत क्रमोन्नति विषयक।**

टीप

डॉ.तुलसीदास परौहा, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर 2013 से कार्यरत है। उनके द्वारा वर्ष 2016 में सी.ए.एस. हेतु अपेक्षित ए.पी.आई. वर्षवार जमा कर पदोन्नति हेतु आवेदन किया गया था।

श्री शिवेन्द्र तिवारीजी, अभिभाषक महोदय द्वारा अतिरिक्त संचालकजी को डॉ.तुलसीदास परौहाजी की पदोन्नति रोकने हेतु आवेदन दिया गया था। इसके लिए उनके द्वारा शासन एवं यू.जी.सी. से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निवेदन किया गया था।

कार्य परिषद बैठक दिनांक 26.12.2020 के अनुसार गठित समिति की अनुशंसानुसार डॉ. तुलसीदास परौहा से संबंधित प्रकरण के संबंध में प्रमुख सचिव म.प्र.शासन उच्च शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालय के पत्रांक 1268 दिनांक 18.02.21 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालय के पत्रांक 1270 दिनांक 18.02.21 मार्गदर्शन मांगा गया था, **जिसके अन्तर्गत श्री वीरनसिंह भलावी अवर सचिव म.प्र.शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्रांक 974/367/2021/38–3 भोपाल दिनांक 23/8/2021 अवलोकनार्थ संलग्न है।**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पत्र/मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। यूजीसी को स्मरण पत्र प्रेषित किया गया है। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि यूजीसी को प्रेषित स्मरण पत्र के जवाब की प्रतीक्षा कर प्राप्त जवाब आगामी कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। श्री शिवेन्द्र तिवारी, अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत शिकायत के तथ्यों के आधार पर संपूर्ण प्रकरण का परीक्षण करने हेतु कुलसचिव एक समिति का गठन करेंगे, जिसका प्रतिवेदन आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जावे।**

क्रियान्वयन – स्थापना

विषय क. 07 **वर्ष 2021–22 में शोधोपाधि अधिसूचना अनुमोदनार्थ।**

टीप

1 शोधार्थी – हरिप्रिया राठौर
विषय – श्रीमद्भागवत में नवधा भक्ति एक समीक्षात्मक अध्ययन
2 शोधार्थी महिमा शास्त्री
विषय – महर्षि दयानन्द सरस्वती के संस्कृत ग्रन्थों में नारीत्व का अनुशीलन।

निर्णय :

1 शोधार्थी – हरिप्रिया राठौर
विषय – श्रीमद्भागवत में नवधा भक्ति एक समीक्षात्मक अध्ययन
2 शोधार्थी महिमा शास्त्री
विषय – महर्षि दयानन्द सरस्वती के संस्कृत ग्रन्थों में नारीत्व का अनुशीलन।
वर्ष 2021–22 में उपरोक्त शोधोपाधि अधिसूचना का अनुमोदन किया गया ।

क्रियान्वयन – शोध विभाग

विषय क. 08 **दीक्षान्त की तिथि माघ शुक्ल पक्ष पंचमी (वसंत पंचमी) निर्धारित करने पर विचार।**

टीप

समन्वय समिति की बैठक दिनांक 25.08.2021 के निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्याल के दीक्षान्त की दिनांक किसी विशेष तिथि पर करने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :

विचारोपरान्त दीक्षान्त की तिथि माघ शुक्ल पक्ष पंचमी (वसंत पंचमी) निर्धारित की गई।

क्रियान्वयन – अकादमिक विभाग

विषय क. 09 **योग भवन एवं अध्ययन कक्षों के निर्माण कार्य हेतु तृतीय एवं चतुर्थ किश्त जारी करने हेतु स्वीकृति एवं विचारार्थ।**

टीप

राशि रू. 31.74 लाख हेतु कार्यपालन यंत्री म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड का पत्रांक 397 दिनांक 27.08.21 प्राप्त हुआ है। योग भवन एवं अध्ययन कक्षों के निर्माण कार्य हेतु तृतीय किश्त की राशि रू. 15 लाख रू. किश्त जारी करने एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात चतुर्थ किश्त जारी की जाने हेतु विचारार्थ।

निर्णय :

योग भवन एवं अध्ययन कक्षों के निर्माण कार्य हेतु तृतीय जारी करने की स्वीकृति दी गई एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं हेण्ड ओवर प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात चतुर्थ किश्त देने का निर्णय लिया गया।

क्रियान्वयन – निर्माण/वित्त

विषय क. 10 **विधिक परामर्श हेतु अभिभाषक शुल्क निर्धारित करने पर विचार।**

टीप वर्तमान में मान. उच्च न्यायालय हेतु अभिभाषक शुल्क प्रति प्रकरण 12000/– तथा स्थानीय न्यायालय हेतु रू. 6000/– निर्धारित है किन्तु अभिभाषक अभिभाषक अभिमत हेतु शुल्क का निर्धारण नहीं किया गया है।
वित्त नियंत्रक के प्रस्तावानुसार माननीय उच्च न्यायालय हेतु प्रति विधिक परामर्श रू. 5000/– तथा स्थानीय न्यायालय हेतु प्रति विधिक परामर्श रू. 2000/– किये जाने हेतु प्रस्तावित है।

निर्णय : **विचारोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय हेतु प्रति विधिक परामर्श रू. 5000/– तथा स्थानीय न्यायालय हेतु प्रति विधिक परामर्श रू. 2000/– किये जाने का निर्णय लिया गया।**

क्रियान्वयन – स्थापना/वित्त

विषय क. 11 **महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन का नाम ''महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन'' करने पर विचार।**

टीप महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन का नाम संशोधित कर ''महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन'' करने हेतु मान मंत्रीजी उच्च शिक्षा म.प्र. शासन एवं प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन को कमशः विश्वविद्यालय का पत्र क्र. 375 दिनांक 09.09.2021 एवं 377 दिनांक 09.09.2021 को प्रेषित किया गया है। प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन का नाम ''महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन'' करने संबंधी कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई तथा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

क्रियान्वयन – सामान्य प्रशासन

विषय क. 12 **योग भवन में इलेक्ट्रिक कार्य सहित फाल्स सिलिंग एवं मंच (स्टेज) कार्य करने विषयक।**

टीप योग भवन में इस्टीमेट अनुसार फाल्स सिलिंग इलेट्रिक कार्य सहित हेतु राशि रू. 2 लाख 30 हजार (फाल्स सिलिंग 1.10 लाख + इलेक्ट्रिक वर्क 70,000 हजार+ 50 हजार रू.) की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

निर्णय : **योग भवन में इलेक्ट्रिक कार्य सहित फाल्स सिलिंग एवं मंच (स्टेज) कार्य करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदित।**

क्रियान्वयन – निर्माण/वित्त

विषय क. 13	**विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गणवेश वितरण करने पर विचार।**
टीप	**दिनांक 13.09.21 को पाणिनि कक्ष में माननीय कुलपतिजी की अध्यक्षता में आयोजित अभिविन्यास कार्यक्रम में प्राप्त निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गणवेश वितरण करने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।**
निर्णय :	**विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गणवेश वितरण संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित।** **क्रियान्वयन – सामान्य प्रशासन**
विषय क. 14	**छात्रों से प्रवेश शुल्क 2 चरणों (किश्तों) में जमा कराने हेतु विचारार्थ।**
टीप	विश्वविद्यालय में निर्धन परिवार के छात्र–छात्राओं को एक साथ ऐसे पाठ्यक्रम जिनका शुल्क निर्धारण रूपये 5000/– से अधिक है उसे दो चरणों में जमा करने का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय :	**विचारोपरान्त छात्रों से प्रवेश शुल्क 2 चरणों (किश्तों) में जमा कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।** **क्रियान्वयन – परीक्षा/वित्त/लेखा/वि.वि. अध्यापन विभाग**
विषय क. 15	**नवीन पाठ्यक्रमों का शुल्क अनुमोदनार्थ ।**
टीप	**सत्र 2021–22 से प्रारम्भ किये गये नवीन पाठ्यक्रमों को विद्या परिषद में रखने का निर्णय लिया गया।,**
निर्णय :	**नवीन पाठ्यक्रमों का शुल्क** के संबंध "शुल्क निर्धारण समिति" का कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। **क्रियान्वयन – परीक्षा/वित्त/लेखा**
विषय क. 16	**कोविड के कारण शिक्षण शुल्क, पुस्तकालय शुल्क में छूट प्रदान करने पर विचार।**
टीप	कोविड महामारी के कारण आर्थिक परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण शुल्क, पुस्तकालय शुल्क में छूट प्रदान करने पर विचार हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।
निर्णय :	**विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित।** **क्रियान्वयन – परीक्षा/वित्त/लेखा**

विषय क. 17 **2018–19, 2019–20, 2020–21 वर्ष का विश्वविद्यालय का ऑडिट कराने विषयक ।**

टीप (1) 2018–19, 2019–20, 2020–21 वर्ष का विश्वविद्यालय का ऑडिट कराने हेतु श्री अरूण भोपाले को मासिक रू. 3000 निर्धारित मानदेय के आधार पर निम्नांकित कार्य करने हेतु रखा गया है ।
01.042018 के उपरान्त लेखाओं का संपूर्ण मिलान करना, 01.042018 से समस्त केशबुक, लेजर, फीस रजिस्टर आदि का संधारण करना, प्रतिवर्ष बैलेंस शीट, आय–व्यय पत्रक कम्प्युटेशन आदि कार्य किया जाकर ऑडिट रिपोर्ट चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवाना, फीस लेजर, तैयार किया जाकर मासिक रूप से आय एवं व्यय का बैंक स्टेटमेंट से Reconciliation का कार्य करना एवं अन्य लेखा कार्य जो अधिकारी द्वारा बताये जाऐंगे उन्हें संपादित करना। प्रकरण कार्योत्तर स्वीकृति एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
(2) वित्त नियंत्रक द्वारा इस बात पर आपत्ति उठाई गई कि वर्ष 2008 से अभी तक कार्यालय की केशबुक ठीक प्रकार से नहीं लिखी गई है और न ही केशबुक आहरण संवितरण अधिकारी (रजिस्ट्रार) द्वारा हस्ताक्षरित/सत्यापित की गई। यह गंभीर अनियमितता है।
अतः उपरोक्त का परीक्षण करने हेतु समिति बनाई जाकर जिम्मेदारी निर्धारित कर संबंधित अभिलेख ठीक कराने एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु विचारार्थ।

निर्णय : **(1) लेखा कार्य संबंधी सूचना ग्रहण की गई।**
(2) जिम्मेदारी निर्धारित कर संबंधित अभिलेख ठीक कराने एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। उपरोक्त का परीक्षण करने हेतु समिति बनाए जाने हेतु वित्त नियंत्रक को अधिकृत किया जाने का निर्णय लिया गया।

क्रियान्वयन – वित्त/स्थापना

विषय क. 18 **विभागाध्यक्ष की नियुक्ति विचारार्थ ।**

टीप विश्वविद्यालय में 12 बी के पंजीयन हेतु यूजीसी मापदण्ड अनुसार विभागवार शैक्षणिक पाठ्यक्रम संरचना छात्रों के कार्यक्रम, समस्या एवं विकास को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य, समय–समय पर कार्यशाला आयोजित करना, इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए विभागवार कार्यरत सहा. प्राध्यापकों में से प्रभारी विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचारोपरान्त यूजीसी मापदण्ड अनुसार विभागवार कार्यरत सहा. प्राध्यापकों में से प्रभारी विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जाने का संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

क्रियान्वयन – स्थापना/अकादमिक

विषय क. 19 **विषय समिति का नाम बोर्ड ऑफ स्टडीज करने पर विचार।**

टीप म.प्र. के अन्य विश्वविद्यालयो में विषय निर्धारण हेतु समिति के लिये अध्ययन मंडल (Board of Studies) शब्द का प्रयोग किया जाता है। अतः एकरूपता के लिए उपर्युक्त नाम परिवर्तित करना उचित होगा।

निर्णय : **विचारोपरान्त विषय समिति का नाम (Board of Studies) बोर्ड ऑफ स्टडीज/अध्ययन मंडल करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

क्रियान्वयन – अमकादमिक

विषय क. 20 **आउटसोर्स संस्था के लिये निविदा जारी करने हेतु विचारार्थ।**

टीप वर्तमान में विश्वविद्याल में 2 आउटसोर्स एजेंसी कार्यरत है। दोनों तत्कालीन समय में आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिकृत की गई थी। तत्समय टेण्डर नहीं बुलाये गये थे।अतः अभी तक किये गए व्यय का अनुमोदन व नवीन टेण्डर (निविदा) जारी करने हेतु अनुमोदनार्थ

निर्णय : **विचारोपरान्त आउटसोर्स संस्था के लिये निविदा जारी करने का निर्णय लिया गया।स्थानीय एजेन्सी को प्राथमिकता देने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

क्रियान्वयन – स्थापना/वित्त/लेखा

विषय क. 21 **शिक्षकेत्तर (गैर–शैक्षणिक) कर्मचारियों की नियुक्ति विषयक प्रस्ताव की स्वीकृति एवं अनुमोदनार्थ।**

टीप विश्वविद्यालय की संरचना, नवीन पद स्वीकृति हेतु बजट अनुमान वर्ष 2021–22 (7 माह हेतु) एवं वर्ष 2022–23 (परिशिष्ट 1 से 4) अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **क्षकेत्तर (गैर–शैक्षणिक) कर्मचारियों की नियुक्ति विषयक प्रस्ताव की स्वीकृत एवं अनुमोदित।**

क्रियान्वयन – स्थापना/वित्त/लेखा

विषय क. 22 **शासन से स्वीकृत शैक्षणिक पदों की पूर्ति हेतु नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने की स्वीकृति एवं अनुमोदनार्थ।**

टीप म.प्र.शासन उच्च शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्रांक एफ–1–11/09//3–38 दिनांक 10/08/2010 के अनुसार 30 में से रिक्त शेष शैक्षणिक पदों को भरने की अनुमति एवं स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

निर्णय : **शासन से स्वीकृत शैक्षणिक पदों की पूर्ति हेतु नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने की स्वीकृत एवं अनुमोदित।**

क्रियान्वयन – स्थापना

विषय क. 23 **विश्वविद्यालय हेतु इलेक्ट्रानिक सामग्री क्रय करने की स्वीकृति एवं अनुमोदन हेतु।**

टीप विश्वविद्यालय की तकनीकी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए डेस्क टॉप कम्प्यूटर 12, लेपटॉप 04, यूपीएस 12, स्केनर 06, सिंगल फंक्शन लेजर प्रिंटर 12, एलईडी/एन्ड्रायड टीवी 03, मल्टीफंक्शन प्रिन्टर 04, एसएलआर कैमरा 01, फोटोकॉपी मशीन 2, स्पीकर ब्लुटूथ 02, वैबकैम वीडियो कान्फ्रेसिंग हेतु 01, योग भवन हेतु ए.सी. 8, पाणिनि कक्ष हेतु ए.सी. 3 क्रय किए जाना प्रस्तावित है इनकी **अनुमानित व्यय राशि 30 लाख रू.** है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय हेतु इलेक्ट्रानिक सामग्री क्रय करने की स्वीकृति दी गई एवं प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

क्रियान्वयन – भण्डार/वित्त

विषय क. 24 **संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विषयक।**

टीप विभिन्न संकायों में पूर्व में नियुक्त संकायाध्यक्षों की समयावधि पूर्ण होने एवं नवीन संकायाध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में प्रकरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **समिति सदस्यों ने गंभीरता से विचार करते हुए निर्णय लिया कि संकायवार संकायाध्यक्षों की नियुक्ति यू.जी.सी. 12 बी के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए की जाये एवं संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण तथा ज्ञान विज्ञान संवर्धन केन्द्र की स्थापना संस्कृत की शिक्षा एवं ज्ञान का अभिवर्धन तथा प्रसार करने के उद्देश्य को लेकर की गयी है अतः संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण तथा ज्ञान विज्ञान संवर्धन केन्द्र को किसी भी संकाय अंतर्गत न रखते हुए स्वतंत्र रखा जाये एवं इस संबंध दिनांक 09.07.18 को अनिधिनियम की धारा 24(3) के तहत परिनियम क्रं. 15 के अन्तर्गत वेद, वेदांग एवं साहित्य संकाय में जोड़ने संबंधी नोटशीट पर तत्कालिन कुलसचिव एवं कुलपतिजी के अनुमोदन उपरांत मय हस्ताक्षर के अनुसार जारी अधिसूचना दिनांक 09.07.18 को क्रं.पासंवि/कु.स./प्रशा/स्था./18/आर–50A, विद्या परिषद् की बैठक दिनाक 19 दिसम्बर, 2018 को आयोजित विद्या परिषद् की बैठक के बिन्दु क्रमांक –7 में विश्वविद्यालय के संकायों के संयोजन का कार्योत्तर अनुमोदन की कार्यवाही तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को कार्यपरिषद् के विषय क्रमांक –3 में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय के विचार के पैरा (1) के अनुसार विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 19.12.18 के बिन्दु क्रमांक–7 के निर्णय का अनुमोदन संबंधी समस्त कार्यवाही अधिसूचना जारी होने की दिनांक से शून्य घोषित मानी जाएगी।**

क्रियान्वयन – स्थापना/अकादमिक

विषय क. 25 **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय ।**

विषयक.25 (1) **विश्वविद्यालय के अधिनियम, अध्यादेश एवं परिनियम को विधानसभा पटल पर रखते हुए अनुमोदन करवाने पर विचारार्थ।**

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित।

क्रियान्वयन – स्थापना

विषयक.25 (2) **पतंजलि भवन के द्वितीय तल के निर्माण हेतु प्रस्ताव विचारार्थ।**

टीप : विश्वविद्यालय का पशासनिक कार्यालय पतंजलि भवन में संचालित है। कक्षों की कमी होने से अनेक कठिनाईयां आ रही है। अतः पतंजलि भवन के द्वितीय तल में निर्माण किया जाना है। म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड निर्माण एजेंसी द्वारा तत्समय में 39.80 लाख का अनुमानित बजट प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण विचारार्थ।

निर्णय : **पतंजलि भवन में द्वितीय तल के निर्माण हेतु सहमति दी गई । प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

क्रियान्वयन – स्थापना

विषयक.25 (3) **विभागीय पुस्तकालय विकसित करने हेतु प्रत्येक प्राध्यापक को कतिपय पुस्तके क्रय करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विचारार्थ। प्रकरण विचारार्थ।**

टीप : प्रत्येक प्राध्यापक यदि किसी सम्मेलन/संगोष्ठी/अन्य कार्य हेतु किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां पर पुस्तक मेला लगा हो अथवा क्रयण हेतु आवश्यक समझी जाने वाली पुस्तके प्रकाशित की गई हो, उस प्रकाशक के साहित्य का विक्रय केन्द्र हो/शासकीय प्रकाशन का विक्रय केन्द्र/प्रकाशक का विक्रय केन्द्र अथवा दुर्लभ पुस्तक हो, जो विश्वविद्यालय हेतु उपयोगी हो अथवा जो भी पुस्तक विषयाध्यापक विभागीय पुस्तकालय हेतु विषय सम्बद्ध जानकर आवश्यक समझे क्रय कर सकता है तथा इस राशि का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तक प्राप्ति के अनन्तर 15 कार्य दिवसों में संबंधित प्राध्यापक को किया जा सकेगा।

निर्णय : **विचारोपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा प्रत्येक प्राध्यापक को एक वित्तीय वर्ष में रू. 10,000/– (रू. दस हजार मात्र) तक की पुस्तक प्रस्ताव अनुसार विश्वविद्यालय हेतु क्रय करने की स्वीकृति दिए जाने का निर्णय लिया गया।**

क्रियान्वयन – सामान्य प्रशासन

कार्य परिषद के अध्यक्ष मान. कुलपतिजी एवं उपस्थित सभी सदस्यों के प्रति प्रभारी कुलसचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। पश्चात् कार्य परिषद की कार्यवाही समाप्त हुई।
आगामी दिवसों में अशासकीय सदस्यों के कार्यकाल पूर्ण होने से कुलपति एवं कुलसचिव द्वारा अशासकीय सदस्यों का अभिनन्दन किया गया।

(डॉ. दिलीप सोनी)
कुलसचिव
सचिव

(प्रो. विजयकुमार सी.जी.)
कुलपति
अध्यक्ष